संख्या–70/सं0वि0/2004–38 संस्कृति/2004

प्रेषक,

एन0एन0प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
जनपद–उधमसिंहनगर।

संस्कृति अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2004

विषयः–जिला योजना 2003–04 में कलेक्ट्रेट परिसर, जनपद उधमसिंह नगर में शहीद उधमसिंह की मूर्ति की स्थापना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर के पत्र संख्या–730/जि0यो0/सं0वि0/2003 दिनॉक 3 मार्च, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, जनपद उधमसिंह नगर में जिला योजनान्तर्गत कलेक्ट्रेट परिसर, में शहीद उधमसिंह की मूर्ति की स्थापना हेतु प्रस्तुत आगणन के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत अनुमोदित रू0 1.28 लाख (रूपये एक लाख अट्ठाईस हजार मात्र), पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ–साथ चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 में इतनी ही धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजा भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चत करें।

7— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एम मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि के उपरान्त लागत में कोई भी पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

9— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। व्यय करते समय टैण्डर/ क्वटेशन विषयक नियमों का पालन किया जायेगा।

10— यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्यकराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

11— उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003—2004 के अनुदान संख्या—11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2205—कला एवं संस्कृति—102—कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन—10—महान विभूतियों की मूर्ति स्थापना—1091—जिला योजना—25—लघु निर्माण कार्य मानक मद के नामें डाला जायेगा।

12— उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या—2389/वि0अनु0—2/2004 दिनांक 25 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पु0प0सं0— /सं0वि0/2004—38 संस्कृति/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार , ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
3— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
4— निदेशक, संस्कृति निदेशालय, देहरादून।
5— श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
6— निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
7— वित्त अनुभाग—2।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।